न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
97 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	09.10.2015	24.08.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री कजोड मल जैन उम्र 45 साल जाति महाजन निवासी प्लॉट नं. जी–11 भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक मैसर्स विनोद कुमार महेश कुमार बडा बाजार निवाई जिला टोंक
2–मैसर्स विनोद कुमार महेश कुमार बडा बाजार निवाई जिला टोंक
3–श्री शशिकान्त टोडवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार टोडवाल निवासी 24 बडा बॉस निवाई नॉमिनी मैसर्स टोडवाल एन्टरप्राईजेज निवाई झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
4–मैसर्स टोडवाल एन्टरप्राईजेज निवाई झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
5–श्री सुबह्यण्यम नटराज पुत्र श्री नीलकंठ सुबह्यण्यम निवासी 301 एम्ब्रोसिया बिल्डिंग पवाई मुम्बई महाराष्ट्र डायरेक्टर मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लि. एन एच 12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी
6–श्री समीर प्रेमपाल जैन पुत्र श्री प्रेमपाल पृथ्वीराज जैन निवासी 701 द्वितीय आवर प्लानेट गोदरेज महालक्ष्मी केशवराव खडे मार्ग मुम्बई महाराष्ट्र डायरेक्टर मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लि. एन एच 12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी
7–श्री विपिन गुप्ता पुत्र श्री शिवचरण गुप्ता निवासी द्वारा एम.आर.एस.सी. पोद्धार 194 एस्कोर्ड हॉस्पीटल का पीछे सुखदेव विहार नई दिल्ली डायरेक्टर मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लि. एन एच 12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी
8–मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लि. एन एच 12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

दिनांक 24.08.2022

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.04.2015 को समय 02:30 पीएम पर मैसर्स विनोद कुमार महेश कुमार बडा बाजार निवाई जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री कजोड मल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कागज के कार्टूनों में लगभग 25 बोतल **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (चम्बल ब्राण्ड)** की 500 एम.एल. की रखी हुई थी जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री विनोद कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री विनोद कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (चम्बल ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर बीएनसी 130315 बी एवं पैकिंग की दिनांक मार्च 2015 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500 मिली की चार बोतल मूल पैक खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (चम्बल ब्राण्ड)** की खरीदशुदा 4 बोतल प्रत्येक 500 मिली पैक का एक–एक बोतल के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–969 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–969 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री कजोड मल जैन मैसर्स विनोद कुमार महेश कुमार बडा बाजार निवाई जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने कार्यालय में उपस्थित होकर बतौर वारन्टी मैसर्स टोडवाल एन्टरप्राईजेज निवाई झिलाई रोड निवाई जिला टोंक का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त तेल क्रय करना बतया। आवेदक द्वारा मैसर्स टोडवाल एन्टरप्राईजेज निवाई झिलाई रोड निवाई जिला टोंक को पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने व्यक्तिश उपस्थित होकर मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा. लि. एन एच 12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी का बिल पेश कर उपरोक्त रिफाइण्ड तेल क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/1756 दिनांक 26.05.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./252/एक्ट /2015/252 दिनांक 07.06.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गया **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (चम्बल ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 दिनांक 18.05.2018 को अंतिम बार न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया और ना ही इसके बाद स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 5 ता 8 की ओर से दिनांक 28.04.2016 को श्री राजकुमार माथुर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया और ना ही इसके बाद अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (चम्बल ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **बेसन सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (चम्बल ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/–(अक्षरे तीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 24.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धनिका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0